

राजस्थान सरकार

(आदेश 20 के नियम 6 और 7)

(न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर, कोटकासिम)
 (पीठासीन अधिकारी लोक अदालत/कैम्प कोर्ट) कैम्प.....

पीठासीन अधिकारी श्री विष्णु लाल शर्मा RAS
 उन्वान
गुजरात बनाम राजेश्वर

दावा बाबत:- 198 R.T. Act

मुकदमा नम्बर:- 130/85

निर्णय दिनांक:- 21-5-18

वादी की ओर से की व प्रतिवादी की ओर से

की उपस्थिति में आज तारीख को (नाम पीठासीन अधिकारी) के समक्ष अन्तिम निपटारे के लिए पेश होने पर, आदेश किया जाता है ओर डिग्री दी जाती कि - बिवाहित आशुजी दलसू-

724/391/5-00 वीरवा, 712/27/0-15 वीरवा चर्क अक्ष अक्षवस 16
कोटकासिम में वादी का घर विक्री कोश गण्ड है प्रतिवादी को जहाँ
हमस इस अक्षेदानी प्रपत्र किता जात है कि वादी की आशुजी से गव
आशुजी का कर, न आशुजी के अक्षेद अक्षेद में अक्षेद व अक्षेद
करे, वादी प्रपत्र के लिए प्रपत्र को अक्षेद है।

खर्चा पक्षकारन अपना-अपना वहन करेंगे ।
 यह आज तारीख 21-5-18 को मौ हस्ताक्ष से ओर न्यायालय की मुद्रा लगाकर दी गई।

OP
 (श्री विष्णु लाल शर्मा RAS)

पीठासीन अधिकारी
 उपखण्ड अधिकारी एवं
 पदेन सहायक कलक्टर ,कोटकासिम


वाद के खर्चे

वादी	प्रतिवादी	
	रूपया	रूपया
1. वाद पत्र के लिए स्टाम्प		
2. शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प		
3. प्रदर्शों के लिए स्टाम्प		
4.रूपये पर प्लीडर के फीस	शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प	
5. साक्षियों को लिए निर्वाह -व्यय	अर्जी के लिए स्टाम्प	
6. कमिश्नर की फीस	प्लीडर के फीस	
7. आदेशिका की तामिल	साक्षियों को लिए निर्वाह -व्यय	
	आदेशिका की तामिल	
	कमिश्नर की फीस	
जोड	जोड	

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, कोटकासिम

हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल पी. ओ०

5 ³ पत्रावली पेश हुई। बकुलाय फरोकन उप।
आइन्दा पत्रावली कैम्प कोर्ट/ लोक अदा०
में दिनांक २१.५.१८ पेश हो।


एस डी ओ/ रीडर

२१.५/१८

पत्रावली कार्यवाही में पेश हुई। (वाही का वाक
सिद्ध) कोम्प जमा है। कोर्टिय धुपक से अशांति
पत्रावली खोला गया। पत्रावली फाइल सुगम
होकर जाकर से काय हो गया। वही वही काय
अदालत हो। 